

“बच्चों और महिलाओं का सशक्तिकरण: संवैधानिक और वैधानिक अधिकार” पर प्रशिक्षण

जेआरडीएस द्वारा आयोजित
प्रशिक्षण टीम सीएचआरएल, नई दिल्ली

प्रिय महोदय / महोदया,

जेसुइट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी (जेआरडीएस), नई दिल्ली, सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड लॉ (सीएचआरएल) की प्रशिक्षण टीम के माध्यम से “बच्चों और महिलाओं का सशक्तिकरण: संवैधानिक और वैधानिक अधिकार” पर हिंदी में 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन 13 से 15 सितम्बर 2024 तक “भारतीय सामाजिक संस्थान, 10, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली-110 003” में कर रही है।

तर्क: आजकल हम अपने देश में बच्चों और महिलाओं के शोषण की ढेरों कहानियां सुनते हैं। जब तक बच्चे और महिलाएं खुद को सशक्त नहीं बनाते तब तक ऐसे हालात का सामना करना नामुमकिन है। बच्चों और महिलाओं के अधिकारों की गारंटी के लिए कई कानून हैं, फिर भी हम आज भी भेदभाव, उत्पीड़न, हिंसा आदि जैसे मुद्दों को देख रहे हैं। इस प्रशिक्षण का आधार बच्चों एवं महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने और समाज में बदलाव लाने के लिए कानूनी जागरूकता प्रदान करना है। प्रशिक्षण उन्हें बच्चों और महिलाओं के अधिकारों पर नवीनतम विधायी विकास और न्यायिक घोषणाओं से भी अवगत कराएगा।

यह प्रशिक्षण किसके लिए: इस प्रशिक्षण के लिए प्रतिभागियों (महिलाओं और पुरुषों) को ज्यादातर गैर सरकारी संगठनों, सीबीओ और अन्य लोगों को चुना जाता है जो विशेष रूप से भारत में ग्रामीण और शहरी गांवों में बच्चों और महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं।

प्रशिक्षण विवरण

प्रशिक्षण तिथि : 13 सितम्बर से 15 सितम्बर 2024
कुल सीटों की संख्या : 30
माध्यम : हिंदी
स्थान : भारतीय सामाजिक संस्थान, 10 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड नई दिल्ली-110003
पंजीकरण की अंतिम तिथि : 15 अगस्त 2024 (ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों स्वीकार्य है)

उद्देश्य: प्रशिक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं:

- भारत में विभिन्न बाल एवं महिला अधिकारों के बारे में जानना और उनका विश्लेषण करना।
- बच्चों और महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित करने वाले सरकारी अधिनियमों की समीक्षा करना।
- समाज में बलाव के लिए बच्चों और महिलाओं में नेतृत्व पैदा करना।
-

कार्यप्रणाली: प्रशिक्षण कानून और कानूनी अभ्यास के क्षेत्र में योग्य और प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा आयोजित किया जाएगा। चर्चा, केस स्टडी, डॉक्यूमेंट्री फिल्मों, अधिवक्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत और बैठकों और कुछ राष्ट्रीय आयोगों के दौरे आदि के माध्यम से ज्ञान प्रदान करने पर जोर दिया जायगा।

विषय: इस प्रशिक्षण में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे:

- बाल कल्याण कानून, आईपीसी के विशेष संदर्भ में, किशोर न्याय अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम, बच्चों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए कौन से मंच हैं, अदालत की प्रक्रिया।
- महिलाएं और संवैधानिक मौलिक अधिकार, रिट उपचार, महिलाओं के लिए मतदान अधिकार, स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी।
- महिला और आपराधिक कानून: बलात्कार का कानून, दहेज के अपराध, मानव तस्करी, छेड़छाड़, गिरफ्तार महिलाओं के अधिकार

और मामले दर्ज करने से जुड़े प्रक्रियात्मक पहलू।

महिला और परिवार कानून: विवाह, तलाक, रखरखाव, गोद लेने, संपत्ति के अधिकार और उत्तराधिकार के कानून।

अपेक्षित परिणाम

- ग्रामीण बच्चों और महिलाओं में नेतृत्व का विकास करना
- बच्चों और महिलाओं को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सशक्त बनाना

शुल्क:

पंजीकरण शुल्क: रु. 500/- (अप्रतिदेय)

प्रशिक्षण शुल्क: रु. 3500/- (जिसमें प्रशिक्षण सामग्री, रहना और खाना शामिल है)

उन लोगों के लिए जो बोर्ड और लॉज का लाभ नहीं उठा रहे हैं

पंजीकरण शुल्क: रु. 500/- (अप्रतिदेय)

प्रशिक्षण शुल्क: 2500 रुपये- (प्रशिक्षण सामग्री, दोपहर का भोजन और चाय शामिल है)

जो उपरोक्त प्रशिक्षण में भाग लेने के इच्छुक हैं कृपया संलग्न आवेदन पत्र भरें (आवेदन पत्र की जेरोक्स प्रतियां भी स्वीकार की जाती हैं) और आवश्यक राशि के साथ निम्नलिखित पते पर इसे वापस भेजें (गूगल फॉर्म भी संलग्न किया जा रहा है और ऑनलाईन फॉर्म भी स्वीकार की जाती है)

प्रशिक्षण समन्वयक

सीएचआरएल

भारतीय सामाजिक संस्थान, 10, इंस्टीट्यूशनल एरिया

लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003

नई दिल्ली में देय **जेसुइट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी** के पक्ष में ड्राफ्ट बनाया जाना चाहिए। हम मल्टी-सिटी चेक (सममूल्य पर देय) भी स्वीकार करते हैं। जो लोग शुल्क सीधे हमारे खाते में जमा करना चाहते हैं, उनके लिए बैंक विवरण नीचे दिया गया है:

1. IFSC कोड : IOBA0001498
2. बैंक का नाम : इंडियन ओवरसीज बैंक
3. शाखा : लोक कला मंच, 20, लोधी इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110 003
4. खाते का प्रकार : बचत
5. खाता संख्या : 149801000031124
6. लाभार्थी का नाम : जेसुइट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी
7. लाभार्थी का पता : 10, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

कृपया राशि स्थानांतरित करने के बाद पूरे विवरण के साथ एक ईमेल या व्हाट्सएप भेजें।

बाहरी प्रतिभागियों के लिए अनुरोध पर भारतीय सामाजिक संस्थान के छात्रावास में 12 सितम्बर सुबह से 16 सितम्बर, 2024 की सुबह तक आवास (शेयरिंग के आधार पर) की व्यवस्था की जा सकती है। आने-जाने का खर्च प्रतिभागियों को वहन करना होगा।

शीघ्र ही आपसे सुनने की प्रतीक्षा में,

सादर



(रवि सागर)

प्रशिक्षण समन्वयक

संपर्क व्यक्ति: कार्यक्रम प्रबंधक

ई-मेल chrldelhi2019@gmail.com, मोबाइल: 9560814111/011-49534202

प्रशिक्षण कार्यशाला

“बच्चों और महिलाओं का सशक्तिकरण: संवैधानिक और वैधानिक अधिकार”

13 से 15 सितम्बर 2024 तक
भारतीय सामाजिक संस्थान, नई दिल्ली में

आवेदन फॉर्म

- नाम (स्पष्ट अक्षरों में) _____
- उम्र: _____
- लिंग: पुरुष / महिला (सही निशान लगाएं)
- डाक पता (स्पष्ट अक्षरों में)

- व्हाट्सअप न. _____ मोबाईल न. _____
- ई-मेल _____
- शैक्षणिक योग्यता _____
- संगठन/संस्थान में वर्तमान कार्य _____
- कृपया उल्लेख करें कि शुल्क की रसीद किसके नाम/ संस्था पर की जानी चाहिए

- अपने वर्तमान कार्य का संक्षेप में वर्णन करें

- क्या आपको आईएसआई में आवास की आवश्यकता है? हां / नहीं (सही निशान लगाएं)
- भोजन: शाकाहारी / मांसाहारी (सही निशान लगाएं)।
- शुल्क का विवरण: _____ तारीख _____ बैंक _____
- आईएसआई पहुंचने की तारीख और समय _____
- आईएसआई से प्रस्थान की तिथि और समय _____

ध्यान दें: आवेदन को स्वीकार्य होने के लिए सभी विवरण को भरना अनिवार्य है।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

(प्रायोजक के हस्ताक्षर)